

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 40/2024

आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 4 जी, फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राज. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पाराशर

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवकरण गुर्जर पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर निवासी पट्टा नंबर 24, बुक नं0 27, मिसल नं0 224 हबीब वाला ग्राम पंचायत सैथल, गवर्नमेंट स्कूल के पास, तहसील दौसा जिला दौसा 303507 (ऋणी)
2. श्रीमती गोपी देवी पत्नि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर निवासी पट्टा नंबर 24, बुक नं0 27, मिसल नं0 224 हबीब वाला ग्राम पंचायत सैथल, गवर्नमेंट स्कूल के पास, तहसील दौसा जिला दौसा 303507 (सहऋणी)
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री नामालुम निवासी पट्टा नंबर 24, बुक नं0 27, मिसल नं0 224 हबीब वाला ग्राम पंचायत सैथल, गवर्नमेंट स्कूल के पास, तहसील दौसा जिला दौसा 303507 (सहऋणी)

....अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 01.05.2024

प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री देवकरण गुर्जर पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर व अन्य को दिनांक 28.10.2022 को 5,19,970/- रुपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में प्रार्थना पत्र की मद सं.-3 में वर्णित संपत्ति को प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के हक में बंधक रखा था किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.12.2023 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.श्रेणी में वर्गीकृत दिया गया तथा दिनांक 09.01.2024 तक प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ 5,61,458/- रुपये निकलते हैं जिनके संबंध में प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 09.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात को समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया गया, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधकशुदा संपत्ति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या-3 में दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति/जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या-3 में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने के संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण राशि का एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार नियमानुसार भुगतान नहीं किया है जिसके कारण कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी ने अप्रार्थी के ऋण खाते को दिनांक 04.12.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है तथा इसके पश्चात प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा धारा 13(2) के नोटिसों का समुचित रूप से तामील/प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा विहित समयावधि के भीतर बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी/बैंक/कंपनी को नहीं किया है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधक संपत्ति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या-3 में दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

अतः प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लि0 के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या-3 में वर्णित संपत्ति आवासीय पट्टा नम्बर 24 बुक नम्बर 27 मिसल नम्बर 224 भूमि एरिया 2073 वर्गफीट बिन्टअप एरिया 1451 वर्गफीट ग्राम हबीब वाला ग्राम पंचायत सैथल गवर्नमेंट स्कूल के पास, तहसील व जिला दौसा-303507 है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जावे। पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, दौसा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी द्वारा नियमानुसार खर्चा जमा करवाये जाने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 01 मई, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra Kumar
(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा